

समस्त,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि० अनु०शा०)वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश ।

जैसा की आप अवगत है कि मुख्यालय के आदेश संख्या-84 दिनांक-18-05-2021 द्वारा वाणिज्य कर विभाग में ( 02/03)दो / तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण कर चुके कुल 331 पुलिस कर्मियों को उनके मूल विभाग के गहन जनपद के लिए वापस / कार्यमुक्त किया जा चुका है । इस सम्बन्ध में पुलिस कर्मियों के गहन जनपद एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ से पुलिस कर्मियों की पदोन्नति एवं अन्य कार्यवाही हेतु इस मुख्यालय को अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे है । लगभग डेढ़ माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाएं एवं जी०पी०एफ० पासबुक उनके मूल विभाग के गहन जनपद को प्रेषित नहीं किया गया है ।

समसन्दर्भ में आपसे अपेक्षित है कि अपने-अपने जोन से सम्बन्धित कार्यमुक्त किये जा चुके पुलिस कर्मियों की अद्यतन चरित्र पंजिकाएं एवं जी०पी०एफ० पासबुक एक सप्ताह के अन्दर पुलिस कर्मियों के गहन जनपद प्रेषित कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें की कार्यमुक्त किये जा चुके पुलिस कर्मियों के समस्त अभिलेख उनके गहन जनपद प्रेषित करा दिये गये है । अन्यथा की दशा में किसी भी पुलिस कर्मी द्वारा यदि न्यायालय की शरण लिया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय का होगा ।

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)

आई०पी०एस०

एडीशनल कमिश्नर (पुलिस)वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या:व दिनांक: उक्त ।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1)- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें ।
- (2)- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई०टी०)वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।
- (3)- आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर मुख्यालय / समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से सर्वसम्बन्धित सहित अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

एडीशनल कमिश्नर(पुलिस)वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

Aim  
28  
Defin  
2.7.21  
1220